

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

29 जून 2017

विषय:- रामपुर-केमरी मार्ग (ओडीआर नं०-20) किमी 3.135 की बांयी पटरी पर
ग्राम-पहाड़ी के गाटा सं०-140 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे
रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी
प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/यूपी/06/34/2016/
एफसी/58 दिनांक 28-4-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध
कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के
पत्रांक 2433/रामपुर/22879/15575/2015, दिनांक 30-5-2017 द्वारा संशोधित प्रस्ताव शासन
को प्रेषित करते हुये भारत सरकार को उपलब्ध कराये हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

3- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 30-5-2017 द्वारा उपलब्ध
कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति सीडी सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश
हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि(प्रस्ताव)

भवदीय,


(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-1211 (1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।